

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 778 सन 2024

अनवान :-

1. अर्जुनराम पत्रु लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. मीरा देवी पत्नी लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. रेशमा पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र परमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. लक्ष्मी पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. कलावती पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. प्रेमा पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 04/10/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् बीधा भूमि वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 26.09.1968 व 09.05.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवटि लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एव विधिक वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जिसके वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् भूमि दिनांक 09.05.1977 को आवंटित की गई आवंटन की शर्तों के अनुसार वादी के पिता को आवंटित होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात वादी का पिता वाद भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो अपने पिता को आवंटन की गई भूमि जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे वादी के पिता के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान विरास्तन से बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों बाद ही वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी

लालूराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी के पिता के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु बाद भूमि को वादी के पिता के नाम गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 की कुल 5.0600हैक् भूमि जो वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 09.05.1977 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने के बाद वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि वादी के पिता लालूराम के देहान्त होने के बाद वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 विधिक उत्तराधिकारी /वारिस है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया व प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्यवाद में शपथ पत्र/दस्तावेजात पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् बीधा भूमि वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 26.09.1968 व 09.05.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवटि लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एव विधिक वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जिसके वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है

वादी के पिता लालूराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् भूमि दिनांक 09.05.1977 को आवंटित

की गई आवंटन की शर्तों के अनुसार वादी के पिता को आवंटित होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात् वादी का पिता वाद भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जो अपने पिता को आवंटन की गई भूमि जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे वादी के पिता के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान विरास्तन से बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों बाद ही वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी लालुराम को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी के पिता के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वाद भूमि को वादी के पिता के नाम गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बरानी क्षेत्रों में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921 के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् भूमि लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 09.05.1977 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णतया साबित है।

आवंटि लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है आवंटी लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है।

अर्थात् वाद भूमि लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 09.05.1977 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आवंटित भूमि पूर्व में वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवंटी लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 296 की 5.0600हैक् दिनांक 09.05.1977 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के खसरा न० 296 की 5.0600 हैक्ठु भूमि दिनांक 09.05.1977 के तीन/दस वर्षों के बाद वादी के पिता आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं वादी के पिता के देहान्त होने के बाद उनके विधिक /जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वाद भूमि के खातेदारी काश्तकार हो चुके थे वादी के पिता को आवंटन दिनांक के दस वर्षों के बाद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करना तहसीलदार का दायित्व था किन्तु वादी के पिता को खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किया गया था जिसे वादी अब भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटन दिनांक 09.05.1977 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 09.05.1977 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात् आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वाद भूमि को वादी के पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी के पिता के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जो जायज वारिसान हैं बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है आवंटन आदेश के अनुसार वादी का कथन न्यायोचित है।

परोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता लालुराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमियां जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई हैं के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्हीं के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू हैं। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थाई खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।


इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 296 की कुल 5.0600हैक् भूमि आवंटन दिनांक 09.05.1977 को आवंटन की गई थी जो आवंटि लालुराम के के कब्जा काश्त में भी वादी के पिता आवंटी लालुराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता लालुराम के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है पेरकार राज के कथनानुसार जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी वादी के पिता लालुराम को आवंटन की गई भूमि के खातेदार अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत पाने का अधिकारी है

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 कुल 5.0600हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. अर्जुनराम पत्रु लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. मीरा देवी पत्नी लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. रेशमा पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र परमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. लक्ष्मी पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. कलावती पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. प्रेमा पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री लालुराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर


तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 778 सन 2022 निर्णय दिनांक - 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढत्रवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 921/907 के खसरा न0 296 कुल 5. 0600हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)